भूजल, नदी, तालाब प्रदूषित करने पर अब मिलेगा कड़ा दंड

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। सरकार ने प्रदेश में गिरते भूजल स्तर और गुणवत्ता की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश में पहली बार 'उप्र ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट-2019 को लागू किया गया है। एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर कड़े दंड का भी प्रावधान किया गया है। एक्ट लागू होने से जहां सरकारी, अर्ध सरकारी और सहायता प्राप्त विभागों के दफ्तरों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य हो गया है, वहीं भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन में भी मदद मिलेगी।

निदेशक भूगर्भ जल वीके उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में लगातार भूजल के गिरते स्तर व गुणवत्ता के स्थायी समाधान के लिए सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन एवं नियमन की जरूरत को देखते हुए यह एक्ट लागू किया गया है। एक्ट के तहत संकटग्रस्त क्षेत्रों को

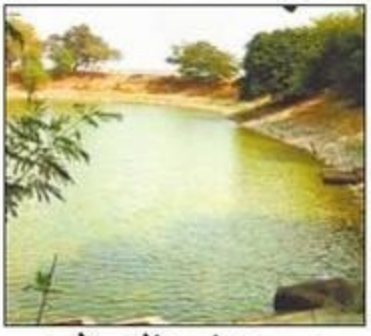

प्रदेश में ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लागू

चिह्नित कर वहां भूजल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। एक्ट में भूजल, नदी, तालाब और पोखर को प्रदूषित करने वाली संस्था या व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। इसके लागू होने से आम लोगों को गुणवत्तायुक्त भूजल की आपूर्ति कराने में मदद मिलेगी। एक्ट के प्रावधानों को समयबद्धता के साथ क्रियान्वित करने के लिए नियमावली तैयार की जा रही है।